न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/382

1. भगवान सिंह आत्मज गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कचनारिया ।
2. लक्ष्मण सिंह आत्मज गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कचनारिया ।
3. हरिराज सिंह आत्मज प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कचनारिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. भौमसिंह आत्मज सोहन सिंह जाति राजपूत निवासी कचनारिया ।
2. मोहन कंवर बेवा भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कचनारिया तहसील हिण्डोली ।
3. राजस्थान राज्य तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. उप पंजीयन अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री प्रेम शंकर गुर्जर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।
3. श्री दशरथ सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 28.06.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम कचनारिया तहसील हिण्डोली की आराजी खसरा नम्बर 587/727 रकबा 15 बीघा के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि वादीगण के दादा ने आज से करीब 80–85 वर्ष पूर्व बंजड से फाडकर काबिल काश्त बनाया एवं सिंचाई हेतु एक कुआ भी खुदवा रखा है जिसका वादीगण उपयोग करते हैं । उक्त भूमि पर वादीगण तन्हा काबिज काश्त हैं । प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने उक्त भूमि स्वयं के नाम खाते में दर्ज करवा ली जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं है । प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । उक्त भूमि में से कुछ हिस्सा एन.एच. 148 के निर्माण हेतु अवाप्त किया जाना है । प्रतिवादीगण को केवल मात्र

खातेदारी में नाम दर्ज होने के आधार पर वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । उक्त भूमि पर वादी का पिछले 12 वर्षों से अधिक समय से कब्जा चला आने से वादीगण कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण को नाम विलोपित कर वादीगण का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे एवं वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे । वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन नहीं करे । उक्त कार्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी क्रम 1व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश कर कथन कि वादी को धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद लाने का कानूनी अधिकार नहीं है । धारा 188 के तहत वाद केवल खातेदार ही ला सकता है। वादी द्वारा तथ्यों को छुपाकर झूठे तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज फरमाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.06.2015 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.06.2015 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते जवाब में लम्बित थी । सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद वास्ते जवाब में लम्बित था और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित कर दिया जो निरस्तनीय है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा भी नहीं हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया है । वादीगण अपीलान्ट को धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद लाने का कानूनी अधिकार नहीं है । धारा 188 के तहत वाद केवल खातेदार ही ला सकता है। वादीगण अपीलान्ट द्वारा तथ्यों को छुपाकर झूठे तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.06.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के जवाब में लम्बित थी और इस लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में उसी दिन गुणागवुण के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । लोक अदालत में केवल प्रतिवादी क्रम 1 भौमसिंह की अंगूठा निशानी है शेष पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं । पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा हुआ हो ऐसा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं है और न ही कोई राजीनामा पत्रावली में संलग्न किया गया है ।

11. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 19.08.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा